### <u>न्यायालय:— द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,श्रृंखला बैहर</u> <u>जिला—बालाघाट (म.प्र.)</u> (पीठासीन अधिकारी—माखनलाल झोड़)

#### Case No. C.R.A./1/2017

Filling No. -CRA/33/2017 CNR-MP50050001212017 संस्थित दिनांक — 05.12.2016

सुरेश कुमार सोनवाने आयु 42 वर्ष पिता शंकरलाल सोनवाने जाति पंवार, निवासी—ग्राम मण्डई थाना व तहसील बिरसा, जिला बालाघाट — — — — अपीलार्थी

## // <u>विरुद्ध</u> //

<b>ਜ</b> 0प्र0	राज्य द्वारा	:– आरक्षी	केन्द्र बिरस	H-169.	
जिला	बालाघाट			10,	 <u>उत्तरवादी</u>

[न्यायालय:-श्रीष कैलाश शुक्ल, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, जिला बालाघाट द्वारा आप.प्रक.क्रमांक 628/2016 शासन विरूद्ध सुरेश कुमार निर्णय दिनांक 18.11.2016 से परिवेदित होकर यह दाण्डिक अपील धारा 374 (3) द.प्र.सं. के तहत प्रस्तुत की है]

# -/// <u>निर्णय</u> ///-

<u>(आज दिनांक 18 जनवरी 2018 को घोषित)</u>

1. अपीलार्थी ने यह दाण्डिक अपील धारा 374(3) द.प्र.सं. के तहत, न्यायालय श्री श्रीष कैलाश शुक्ल, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, जिला—बालाघाट द्वारा आपराधिक प्रकरण कमांक 628/2016 म0प्र0 राज्य विरुद्ध सुरेश कुमार पारित निर्णय दिनांक 18.11.2016 को धारा 25(1—बी)बी सहपठित धारा—4 आर्म्स एक्ट के अपराध हेतु अपीलार्थी को दोषसिद्ध पाकर 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 200/—रू. के अर्थदण्ड से दंडित किए जाने से परिवेदित होकर पेश की है।

- 2. अभियोजन के मामले का सार यह है कि दिनांक 27.06.2016 को रात्रि लगभग 08.00 बजे ब्लॉक ऑफिस के पास मण्डई बिरसा में अभियुक्त संदिग्ध अवस्था में पाये जाने की सूचना सहायक उपनिरीक्षक राजधर दुबे जो हमराह स्टाफ गुम इनसान की तलाश हेतु तथा ग्राम गश्त अपराध विवेचना हेतु पूर्व से रवाना था तक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक 40—42 वर्ष का आदमी पीली शर्ट तथा मटमेले रंग को लोअर पहने है, 4—5 घण्टे से अकेले ब्लॉक ऑफिस के सामने संदिग्ध रूप से घुम रहा है की सूचना प्राप्त होने पर हमराह प्रधान आरक्षक 650 सुरेश नागेश्वर के साथ सूचना पर पहुंचा। राहगीर धर्मेन्द्र और गणेश मिले उन्हें सूचना से अवगत कराया। संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, उसे घेराबंदी कर पकड़ा, नाम पता पूछने पर सुरेश कुमार सोनवाने पिता शंकरलाल जाति पंचार उम्र 42 वर्ष ग्राम मण्डई का होना बताया।
- 3. तत्पश्चात् उसकी जामातलाशी लेने पर उसकी कमर में दायें तरफ लोहे का धारदार छुरा जिसमें लोहे की मुठ है मिला, लाइसेंस पूछने पर न होना बताया। अभियुक्त के पास से छुरे की जप्ती की गई, जप्ती पत्रक बनाया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मौका नक्शा बनाकर थाने लेकर आकर छुरा थाना मोहर्रिर सोमलाल के सुपुर्द किया गया। आरोपी को हवालात में बंद किया, वापसी दर्ज कर प्रथम सूचना दर्ज कराकर, अपराध क. 91/16 की कायमी की गई, नक्शा मौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, अन्वेषण पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।
- 4. प्रस्तुत अपील का सार यह है कि अभिलेख पर आयी साक्ष्य का उचित मूल्यांकन के बिना निर्णय पारित किया है। साक्षी अनिल के साक्ष्य का गलत मूल्यांकन कर निर्णय पारित किया गया है। जप्ती का साक्षी गणेश और धर्मेन्द्र के कथनों में विरोधाभाष है की विवेचना सही नहीं की है। ए.एस.आई. राजधर दुबे और प्रधान आरक्षक सुरेश के पुलिस कथन और न्यायालयीन कथन में विरोधाभाष है को विचार में नहीं लिया है। अधिसूचना दिनांक 22.11.1974 की

मंशा अनुसार जप्त छुरी का कोई नाप नहीं है की उक्त अधिसूचना का उल्लंघन हो, साथ ही अन्य अतिरिक्त विधिक आधारों पर भी अपील निरस्त किये जाने योग्य है लेख किया है।

5. अपील के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :
क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दा.प्र.क. 628/2016,

म०प्र० शासन सुरेश कुमार सोनवाने में पारित निर्णय दिनांक

18.11.2016 में साक्ष्य के मूल्यांकन में त्रुटि, तथ्य की त्रुटि अथवा

विधि की त्रुटि किए जाने से आलोच्य निर्णय हस्तक्षेप योग्य है?

#### विचारणीय प्रश्न का अभिलेख के आधार पर निष्कर्ष :-

- 6. गणेश (अ.सा.1) पेश वाहन चालक ने साक्ष्य दी है कि वह अभियुक्त सुरेश कुमार सोनवाने को जानता है। दिनांक 27.06.16 को शाम करीब 08.00 बजे यह साक्षी उसके मित्र को छोड़ने जा रहा था तब ब्लॉक आफिस के पास भीड़ दिखाई दी, तब साक्षी ने जाकर देखा कि सुरेश के हाथ में छुरा था। सूचना पर सहायक उपनिरीक्षक दुबे मौके पर आये आरोपी से छुरा जप्त किया, आरोपी को गिरफ्तार किया, मौके पर धर्मेन्द्र वर्मा भी था। आरोपी से जप्त किया, छुरा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। यह वही छुरा है जो घटना दिनांक को आरोपी से जप्त किया गया था। छुरा आर्टिकल ए 1 है जिसका जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 1 है जिसक ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर है। अभियुक्त को गिरफ्तारी किये जाने के गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी 2 है जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर है।
- 7. धर्मेन्द्र (अ.सा.2) पक्षद्रोही है, किन्तु प्रतिपरीक्षण के पद क. 3 में साक्षी ने स्वीकार किया है कि जब वह मौके पर पहुंचा तो उसके 2—4 मिनट बाद आरोपी को पुलिस मौके से लेकर चले गई थी। यह इनकार किया है कि जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 1 पर हस्ताक्षर थाने में किये थे, स्वतः कहा कि प्रदर्श पी 1 पर हस्ताक्षर साक्षी ने मौके पर किये थे। वह यह नहीं बता सकता कि प्रदर्श पी

1 या प्रदर्श पी 2 में से किस दस्तावेज पर उसने मौके पर हस्ताक्षर किया था, स्वतः कहा कि एक दस्तावेज पर मौके पर हस्ताक्षर किये थे।

- 8. राजधर दुवे(अ.सा.3) की सम्पूर्ण साक्ष्य का अध्ययन किया, जिसमें ६ । ट्रना बाबत्, प्रदर्श पी 1 जप्ती पत्रक, प्रदर्श पी 2 गिरफ्तारी पत्रक, प्रदर्श पी 3 नक्शा मौका बाबत् दी गई साक्ष्य का प्रतिपरीक्षण में खण्डन नहीं है। इस साक्षी ने अपने मुख्य कथन में स्पष्ट रूप से यह भी कथन किया है कि 1 लोहे का छुरा जिसके मुठ से नोंक तक की लंबाई 40 से.मी., गोलाई 8 से.मी., मुठ 2 से. मी. आरोपी सुरेश सोनवाने के कब्जे से गवाह धर्मेन्द्र और गणेश के समक्ष साक्षी द्वारा जप्ती कर प्रदर्श पी 1 का जप्ती पत्रक तैयार किया गया था जिसके सी से सी भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर है। साक्षी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 6 तैयार की थी जिसके ए से ए भाग पर व बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। इस साक्षी के कथन की पुष्टि (अ.सा.1) गणेश और (अ.सा.2) धर्मेन्द्र के प्रतिपरीक्षण में आयी साक्ष्य से होती है।
- 9. अनिल मडामें (अ.सा. 4) पेशा प्रधान आरक्षक ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 27.06.16 को पुलिस थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था, तब सहायक उपनिरीक्षक राजधर दुबे, प्रधान आरक्षक सुरेश की सूचना के आधार पर साक्षी ने अपराध कायम किया था तथा मामले में अंतिम प्रतिवेदन प्रदर्श पी 7 का तैयार किया था।
- 10. सुरेश नागेश्वर (अ.सा.5) प्रधान आरक्षक ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 27.06.16 को वह पुलिस थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को साक्षी देहात रवाना हुआ था। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति बिरसा ब्लॉक आफिस के पास संदिग्ध अवस्था में घुम रहा है तब वह स्टाफ के साथ पहुंचा बताये गये हुलिये का व्यक्ति वहां घुम रहा था वह भागने लगा तो उसे पकड़ा था, पूछने पर उसने अपना नाम सुरेश सोनवाने पिता शंकरलाल निवासी मण्डई बताया था। गवाहों के समक्ष तलाशी लेने पर उसके लोअर के अंदर दाहिने तरफ एक धारदार चाकू मिला लाइसेंस पूछने पर

न होना बताया, चाकू मौके पर जप्त कर थाने लाया था, आरोपी को गिरफ्तार किया था। साक्षी ने अपने बयान श्री दुबे साहब को दिये थे। प्रतिपरीक्षण में यह इनकार किया है कि साक्षी के समक्ष आरोपी के पास लोहे का चाकू 40 से.मी. लम्बा बरामद नहीं हुआ था।

- 11. अपीलार्थी की ओर से किये गये तर्कों को विचार में लिया गया। प्रदर्शित दस्तावेजों में प्रदर्श पी 1 का जप्ती पत्रक अभिलेख पर है। जप्तकर्ता अधिकारी के रूप में राजधर दुबे सहायक उपनिरीक्षक है। प्रदर्श पी 2 के दस्तावेज के अनुसार अभियुक्त / अपीलार्थी की गिरफ्तारी श्री राजधर दुबे सहायक उपनिरीक्षक द्वारा की गई है। अपराध विवरण अर्थात् नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 का मौके पर ही श्री राजधर दुबे ए.एस.आई. द्वारा बनाया गया है। प्रदर्श पी 4 श्री राजधर दुबे का रवानगी सान्हा है। प्रदर्श पी 5 का आमद सान्हा रात्रि 21.37 बजे का है।
- 12. प्रदर्श पी 6 की प्रथम सूचना का फरियादी और लेखकर्ता अधिकारी स्वयं ए.एस.आई. राजधर दुबे है। प्रदर्श पी 6 के ए से ए और बी से बी भाग पर श्री राजधर दुबे का कथन लेख होना अभिलेख पर है। प्रदर्श पी 6 की अपराध कायमी के पश्चात् साक्षी गणेश (अ.सा.1), साक्षी धर्मेन्द्र (अ.सा.2), साक्षी सुरेश नागेश्वर (अ.सा.5) प्रधान आरक्षक के कथन लिये जाने के सम्बंध में कोई साक्ष्य नहीं है। राज्य की ओर से किये गये तर्क 0/16 के अनुसार साक्षी धर्मेन्द्र, साक्षी सुरेश के धारा 161 द.प्र.सं. के कथन अभिलेख पर संत्यन है जिन पर 0/16 अपराध क्रमांक लेख है से स्पष्ट है कि इन दोनों साक्षियों के कथन प्रदर्श पी 6 की अपराध कायमी के पूर्व लेखबद्ध किये गये थे, इसलिये 0/16 के बंटे 91/16 लेख है।
- 13. मेघासिंग विरूद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा ए.आई.आर. 1995 सुप्रीम कोर्ट 2339 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान अपराध में समान रूप से एक ही व्यक्ति द्वारा की गई आर्म्स एक्ट के अधीन कार्यवाही पर विचारण न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि को एक ही पुलिस अधिकारी द्वारा अपराध

कायमी के पूर्व और पश्चात् की सम्पूर्ण कार्यवाही किये जाने के आधार पर दोषसिद्धि अपास्त की है का सिद्धांत इस मामले में समान रूप से अनुकरणीय है।

- 14. अतः उक्त न्याय दृष्टांत में प्रतिपादित विधिक सिद्धांत के आधार पर प्रश्नाधीन दण्डादेश हस्तक्षेपयोग्य होने से निष्कर्षित दोषसिद्धि अपास्त की जाती है। अपीलार्थी को धारा 25(1—बी)बी सहपठित धारा—4 आर्म्स एक्ट के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अर्थदण्ड की राशि रसीद क. 23283/60 दिनांक 18.11.16 द्वारा अदा की है जो अपील अवधि पश्चात् अपीलार्थी को लौटाई जावे। इस निर्णय के विरुद्ध अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार अर्थदण्ड की राशि का व्ययन किया जावे।
- अपीलार्थी के जमानत मुचलके निरस्त कर भारमुक्त किये जाते हैं।
- 16. इस निर्णय की एक प्रति मूल अभिलेख के साथ संलग्न कर अभिलेखागार भेजा जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

> सही / – (माखनलाल झोड़) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, श्रृंखला बैहर, जिला बालाघाट

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही /—
(माखनलाल झोड़)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
श्रृंखला बैहर, जिला बालाघाट